अनुदान संख्या 36 – भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
GRANT No. 36 - INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*146,54,00*	*133,06,28*	*-13,47,72*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*11,23,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	4163,03,00	4248,80,00	4172,74,66	-76,05,34
पूरक	Supplementary	85,77,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				43,27,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		12,67,00	4,74,06	-7,92,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				7,45,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2016"	Major Head "2016"				
लेखा परीक्षा	Audit				
मू.	*O.*	*14654.00*	*13531.00*	*13306.28*	*-224.72*
पु.	*R.*	*-1123.00*			

(I) "भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक – मुख्यालय कार्यालय" – *₹ 1272.57 लाख* की बचत (*₹13984.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) "वेतन" संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने, सुपुर्दगी कार्यक्रम के अनुसार हार्डवेयर की पूर्ति न किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Comptroller and Auditor General of India - Headquarters Office" - saving of *₹ 1272.57 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹13984.00 lakhs*) was due to requirement of less funds towards salaries, non-supply of hardware as per delivery schedule and economy measures.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹7605.34 लाख) दिसंबर, 2017 में प्राप्त किए गए ₹8577.00 लाख के पूरक अनुदान का 89 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹7605.34 lakhs) constituted 89 percent of the supplementary grant of ₹8577.00 lakhs obtained in December, 2017 and 2 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2016"	Major Head "2016"				
लेखा परीक्षा	Audit				
मू.	O.	416303.00			
पू.	S.	8577.00	420553.00	417274.66	-3278.34
पु.	R.	-4327.00			

(I) पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहाः–

(I) Supplementary grant remained wholly unutilized under the following heads as shown against each: -

(का) "सिविल लेखा परीक्षा और लेखा कार्यालय – सिविल लेखा कार्यालय" के अंतर्गत ₹142611.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹739.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹143350.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹3171.36 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – रिक्त पदों को भरे न जाने, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों को पूरा न किए

(A) "Civil Audit and Accounts Offices - Civil Accounts Offices" - the original provision of ₹142611.00 lakhs was augmented to ₹143350.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹739.00 lakhs. However, there was a saving of ₹3171.36 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, non-completion of works by Central Public Works Department, receipt of less

जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधित कम दावों की प्राप्ति होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) "डाक और टेलीग्राफ लेखा परीक्षा कार्यालय – क्षेत्रीय कार्यालय" – ₹12984.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹489.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹13473.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹561.34 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – रिक्त पदों को भरे न जाने, सुपुर्दगी कार्यक्रम के अनुसार हार्डवेअर की पूर्ति न किए जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधित कम दावें प्राप्त होने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(गा) "रेलवे लेखा परीक्षा कार्यालय – क्षेत्रीय कार्यालय" – ₹24354.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹155.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹24509.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹1147.79 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – रिक्त पदों को भरे न जाने, सुपुर्दगी कार्यक्रम के अनुसार हार्डवेअर की पूर्ति न किए जाने, कम प्रशिक्षण होने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधित कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(II) पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:–

(का) "सिविल लेखा परीक्षा और लेखा कार्यालय – सिविल लेखा कार्यालय" – ₹205001.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹6301.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹211302.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹1612.81 लाख की सीमा तक रिक्त पदों को भरे न जाने, कम दौरे किए जाने, विविध रिपोर्टों के मुद्रण के लिए कम दावों की प्राप्ति होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) "रक्षा लेखा परीक्षा कार्यालय – क्षेत्रीय कार्यालय" – ₹8958.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹405.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹9363.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹83.08 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

claims towards medical reimbursement and economy measures.

(B) "Posts and Telegraphs Audit Offices - Field Offices" - the original provision of ₹12984.00 lakhs was augmented to ₹13473.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹489.00 lakhs. However, there was a saving of ₹561.34 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, non-supply of hardware as per delivery schedule, receipt of less claims towards medical reimbursement and economy measures.

(C) "Railway Audit Offices - Field Offices" the original provision of ₹24354.00 lakhs was augmented to ₹24509.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹155.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1147.79 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, non-supply of hardware as per delivery schedule, less training and receipt of less claims towards medical reimbursement.

(II) Supplementary grant remained unutilized under the following heads to the extent as shown against each: -

(A) "Civil Audit and Accounts Offices - Civil Audit Offices" - the original provision of ₹205001.00 lakhs was augmented to ₹211302.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹6301.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1612.81 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, receipt of less claims for printing various reports and economy measures.

(B) "Defence Audit Offices - Field Offices" - the original provision of ₹8958.00 lakhs was augmented to ₹9363.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹405.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹83.08 lakhs; and

(गा) “वाणिज्यिक लेखा परीक्षा कार्यालय – क्षेत्रीय कार्यालय” ₹16560.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹453.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹17013.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹424.95 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(C) “Commercial Audit Offices - Field Offices” - the original provision of ₹16560.00 lakhs was augmented to ₹17013.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹453.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹424.95 lakhs.

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत रिक्त पदों को भरे न जाने, सुपुर्दगी कार्यक्रम के अनुसार हार्डवेअर की पूर्ति न किए जाने एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों को पूरा न किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, non-supply of hardware as per delivery schedule and non-completion of works by Central Public Works Department.

(III) “विदेश लेखा परीक्षा कार्यालय – क्षेत्रीय कार्यालय” – ₹400.86 लाख की बचत (₹2847.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधित कम दावों की प्राप्ति होने की वजह से कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) Under “Overseas Audit Offices - Field offices” - saving of ₹400.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2847.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries and receipt of less claims towards medical reimbursement.

(IV) “अन्य व्यय – विभागीय कैंटीन” के अंतर्गत ₹235.60 लाख की बचत (₹1613.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कैंटीन स्टॉफ की भर्ती अनुसूची को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) Under “Other Expenditure - Departmental Canteen” - saving of ₹235.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1613.00 lakhs) was due to non-finalization of scheduled recruitment of the canteen staff.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष “4059” लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4059” Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	667.00			
			369.60	323.77	-45.83
पु.	R.	-297.40			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	600.00	152.40	150.29	-2.11
पु.	R.	-447.60			

(I) मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन – अन्य व्यय – तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण" – ₹343.23 लाख की बचत (₹667.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(I) Under Major Head "4059" - "Office Buildings - Other Expenditure - Acquisition of ready built Accommodation" - saving of ₹343.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹667.00 lakhs); and

(II) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों के लिए आवासीय स्कीम – तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण" – ₹449.71 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(II) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Housing Scheme for employees of IA&AD - Acquisition of ready built flats" - saving of ₹449.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.